## 1 CICR 52018110200223511

GSTIN:-	09AAALN0120A1ZV Acknov	vledgment Copy			
Challan to Deposit For Sanction/Completion of Map in Canara Bank Sector-6, Noida Phone: 2422242					
Name of A GST No. C Location : S Category*	pplicant/Allottee At MS M Of Allotee DENE CORDES Sector + S Block Plot N File No. (If any)	PUR GROCOID PUR YOU			
SAC Code	Head of Account	Amount			
(999799) (998325) (998325) (998325)	Cost of Building Byelawa Building Permit Fee Building Plan Revalidation Fee	in Rs.			
(998325)	Fee for Control Drawing (if requ C & D Charges (for filling of Completion cases only)	ired)			
(998325) (998325) CGST SGST	Compounding Fée Miscellaneous 2018  9%2422742	70500 Jacon			
	hound only	TAL 8,80,000			
Payment Particular Cash/ Bank draft (Please Tick)					
Bank draft No. Tas Dt. 2/11/18n					
10101	Bank Branch of R	s. 8,80,000/~			
ate of Payme		ure of Depositor			
B A/C NO.28 SC Code No	4940404400	's Receipt			



पंजीकृत डाक द्वारा

# नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नौएडा(उ०प्र०)

संख्याः-नौएडा/मु0वा0नि0/2015/ IV-1482/ १०२६ 16-11-2018

मुख्य कार्यपालक अधिकारी न्वीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश

सेवा में,

M/s Aims Max Gardenia Developers Pvt. Ltd. C-56/5, Sector-62, 4th Floor, Mentech Building Noida

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 10.10.2018 के संदर्भ में आप द्वारा ईको सिटी, सेक्टर-75 में पुर्नरिक्षित वाणिज्यिक भवन निर्माण की भूखण्ड सं०-ए एण्ड वी, ईको सिटी, सैक्टर -75, नौएडा पर निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- 1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (निर्माण अविध होने की दशा में) तक वैध है।
- 2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफेक्टेड) नहीं माना
- 3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा ।
- 4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मॉगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा ।
- 5. दरवाजे व खिडिकियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सडिक की ओर बढाव(प्रोजक्टेड) न हों ।
- 6. बिजली की लाईन से पॉच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न ही किया जायेगा ।
- 7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सडक पर यातायात अवरूद्ध नहीं होना चाहिए ।
- 8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जॉच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा । आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा । अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना
- 9. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र
- 10. सडक पर अथवा बैक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे । वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें ।
- 11. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नोएडा(भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेगा एवं
- 12. यह मानचित्र रवीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुर्नजीवित करा लिया हो । पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुर्नजीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैद्यता, पट्टे की वैद्यता तिथि तक समझा जायेगा ।

- 13. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्िकर प्रस्तुत करना होगा ।
- 14. आवंटी निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा ।
- 15. सन्दर्भित योजना में भूजल की अनिधकृत निकासी एवं दुरुपयोग नहीं किया जायेगा एवं प्रश्नगत क्षेत्र की हाइडीलोजी के दृष्टिगत रेनवाटर हावेरिंटग की व्यवस्था नियमानुसार करनी होगी एवं भवन निर्माण हेतु जलापूर्ति के लिए नौएडा प्राधिकरण से जल की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय भूजल/राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा भूजल संरक्षण एवं इसके उपयोग तथा उसके निस्तारण के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों एवं आदेशों का अनुपालन करना होगा ।
- 16. आवंटी संस्था द्वारा पुर्निरिक्षित प्रदूषण सम्बन्धी अनापत्ति पत्र एवं पुर्निरिक्षित पर्यावरण विभाग से अनापत्ति पत्र प्राप्त कर विभाग में जमा कराना होगा ।
- 17. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के भवन निर्माण हेतु जारी दिशा निर्देश, 2010 का पूर्णरूप से पालन करना होगा ।
- 18. प्रस्तावित योजना की सर्विसेज के लिए विस्तृत मानचित्र तैयार कर तथा सर्विसेज को प्राधिकरण की सर्विसेज के साथ इन्टीग्रेट करने के लिए प्राधिकरण के जल, सीवर, ड्रेनेज, विद्युत सम्बन्धी विभागों से सहमति/अनापत्ति प्राप्त कर प्राधिकरण में जमा कराना होगा ।
- 19. भू-विन्यास मानचित्र सैद्वान्तिक स्वीकृति के उपरान्त स्थल के आस-पास निर्मित सर्विस यथा जल निकासी लाइन, सीवर लाइन, नाला, एच0टी0 लाइन को बिना प्राधिरकण पूर्व अनुमित के स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा ।
- 20. योजना के भू-विन्यास मानचित्रों में दर्शायी गई पॉकेटस/भूखण्ड को विभिन्न भू-उपयोग के अनुसार विकसित किया जायेगा एवं इसे भूखण्डों के उप विभाजन के रूप में नहीं माना जायेगा । यदि भविष्य में आवंटी संस्था द्वारा इस भूखण्ड को हस्तान्तरित हेतु उप विभाजित किया जाता है तो उसके लिए प्राधिकरण में तदानुसार संशोधित भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन करना होगा । प्राधिकरण की स्वीकृति के उपरान्त ही उप विभाजित भूखण्ड/भूखण्डों पर भवन विनियमावली के अनुसार भू-आच्छादन, एफ०ए०आर० एवं सैट बैक निर्धारित होगें ।
- 21. प्रश्नगत भू-विन्यास मानचित्र के आधार पर आपके द्वारा प्रस्तुत सर्विसेज प्लान पर इस क्षेत्र में प्राधिकरण की सर्विसेज के साथ इन्द्रीग्रेशन हेतु मुख्य अनुरक्षण अभियन्ता(जल)/सम्बन्धित विभागों की सहमति प्राप्त करनी होगी
- 22. माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र 375, वर्ष 2015, परमवीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में ओखला पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन के निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देशों के अनुपालन हेतु कार्यदायी संस्था बाध्य है। यह स्वीकृति पत्र माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकण के अन्तिम पारित किये जाने वाले आदेश के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है
- 23. यह स्वीकृति ईको सिटी, सेक्टर-75 में आंवटित भूखण्ड का पंजीकरण एवं आवंटन हेतु विवरण पुस्तिका की नियम एवं शर्ते/लीज डीड की शर्ते/नोएडा महायोजना-2031/नोएडा भवन विनियमावली-2010 के सुसंगत यथा प्रभावी प्राविधानों के अधीन होगी जिसके उल्लधंन की दशा में यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी ।
- 24. सेक्टर-75 में ईको सिटी योजना के भू-विन्यास मानचित्र की प्राधिकरण द्वारा दिनांक 27.03.2018 स्वीकृति पत्र में शर्तो के साथ प्रदान की गई थी । तदोनुसार उल्लेखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बाध्य है
- 25. मानचित्र इस शर्त के साथ स्वीकृत किये जाते है कि अधिभोग के आवेदन के समय सिनेमा हेतु मनोरंजन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर विभाग में जमा कराना होगा ।
- 26. आवंटी संस्था द्वारा रेरा (Real Estate Regulatory Act) में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा ।
- 27. भूखण्ड स्वामी को स्वयं व अन्य विजिटर्स हेतु कार पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही सुनिश्चित करनी होगी एवं सड़क पर किसी भी प्रकार की पार्किंग न करें।

Par Bup & y

स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है, भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा विना अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किये भवन को प्रयोग में ना लायें ।

• भूखण्ड का क्षेत्रफल(ए. एण्ड बी. ब्लाक)

• अनुमन्य भू-आच्छादित क्षे० ४०%

पुर्निरिक्षित भू-आच्छादन

• कुल अनुमन्य एफ०ए०आर०

• पुर्नरिक्षित एफ0ए0आर0

• अनुमन्य ऊँचाई

• प्रस्तावित ऊँचाई

अनुमन्य सैटबैक

= 34,531.00 वर्ग मी0

= 13,812.00 वर्ग मी0

= 13,128.785 वर्ग मी0

= 1,03,593.00 वर्ग मी0

= 1,03,532.268 वर्ग मी0

= कोई सीमा नही

= मी0

= अग्र 15.0 मी0 व अन्य तीनो साइड 9.00 मी0

आवंटी संस्था द्वारा स्वीकृति हेतु आवेदन के आधार पर क्षेत्रफल का तलवार विवरण निम्नानुसार है:-

तल	अनुमन्य क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	पूर्व स्वीकृत	पुर्निरिक्षित क्षेत्रफल (वर्ग मी0)
	2		3
1	Marie Comment	9750.42	13,128.96
बेसमेंट-1	12,373.60	8882.05	12459.028
भूतल	शेष एफ.ए.आर.	8805.72	12463.846
प्रथम तल		8625.92	12496.885
द्वितीय तल		8866.87	12496.885
तृतीय तल	-	4224.65	12269.505
चतुर्थ तल		3190.94	10340.172
पंचम तल		2777.35	1146.332
छटवां तल	-	1258.54	1146.332
सातवां तल		1258.54	1146.332
आठवां तल	Later to the	1258.54	1146.332
नीवा तल		1258.54	1146.332
दसवां तल	-	1258.54	1146.332
ग्यारहवां तल	S 51	1258.54	1146.332
बारवां तल	-	1258.54	1146.332
तेरहवां तल	-	1258.54	1146.332
चौदहवां तल		1258.54	1146.332
पन्द्रहवां तल	-	1258.54	1146.332
सौलहवा तल		1180.03	1146.332
सत्रहवां तल		1180.03	1146.332
अटठारवां तल		1180.03	1146.332
उन्नीसवां तल	_	1084.46	1146.332
बीसवां तल		1084.40	The state of the s

इक्कीसवा तल		1084.46	- 5
बाईसवां तल		1084.46	
तेईसवां तल		785.90	
चौबीसवां तल		785.90	
मीटर रूम		-	12.00
कुल एफ0ए0आर0	92,802.00	76064.59	103532.268

नॉन एफ०ए०आर			
तहखाना लोवर(बी-1)	सेटवैक छोडने के पश्चात शेष क्षेत्रफल	9063.82	
तहखाना लोवर(बी-2)	(पार्किंग/सर्विसेज हेतु )	20,330.67	19221.989
तहखाना लोवर(बी-3)		20,330.67	20380.763
		49,725.16	39602.752
सेवा तल	12727.00	2244.07	1206 225
	12737.00	3211.87	1296.235
15% सेवा क्षे0	15538.95	11348.57	8949.237
पूर्व मे स्वीकृत क्षेo(एफ०ए०आर०, तहखाना, सेवा तल व सेवा क्षेत्रफल सहित)	76064.59+49725.16+3211.87+11348.57 =1,40,350.19		
पुर्निरिक्षित क्षे0(एफ०ए०आर०, तहखाना, सेवा तल व सेवा क्षेत्रफल सहित)	103532.268+39602.752+1296.235+8949.237 =153380.492		

#### सैटबेक विवरणः-

सैटबेक	अनुमन्य (मी0)	प्रस्तावित (मी0)	
		भवन	तहखाना
अग्र	15.0	83.40	6.00
पृष्ठ	9.0	15.00	6.00
बाई साइड	9.0	10.25	6.00
दाई साइड	9.0	9.00	6.00

Map for proposed Building is as per Bye Laws submitted for approval Please.

प्रतिलिपि- महाप्रबन्धक (ग्रुप हाऊर्सिंग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

पंजीकृत डाक द्वारा

## नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नौएडा(उ०प्र०)

संख्याः-नौएडा/मु0वा0नि0/2015/ IV-1480/ /o77

दिनांकः 16-11-2018

मुख्य कार्यपालक अधिकारी -नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश

सेवा में.

M/s Aims Max Gardenia Developers Pvt. Ltd. C-56/5, Sector-62, 4th Floor, Mentech Building Noida

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 02.11.2018 के संदर्भ में आपके द्वारा ईको सिटी, सेक्टर-75 में पुर्नरिक्षित मानचित्र वाणिज्यिक भवन निर्माण की भूखण्ड सं०-सी एण्ड डी, ईको सिटी, सैक्टर -75, नौएडा पर निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- 1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है ।
- 2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफेक्टेड) नहीं माना जायेगाः ।
- 3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा ।
- 4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मॉगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा ।
- 5. दरवाजे व खिडिकयाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सडक की ओर बढाव(प्रोजक्टेड) न हों ।
- 6. बिजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न ही किया जायेगा ।
- 7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सडक पर यातायात अवरूद्ध नहीं होना चाहिए ।
- 8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जॉच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा । आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा । अन्यथा स्वीकृत मानचित्र खतः निरस्त माना जायेगा ।
- 9. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र रवतः निरस्त माना जायेगा ।
- 10. सडक पर अथवा बैक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेगे । वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें ।
- 11. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नोएडा(भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा ।
- 12. यह मानचित्र रवीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुर्नजीवित करा लिया हो । पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुर्नजीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैद्यता, पट्टे की वैद्यता तिथि तक समझा जायेगा ।

- 13. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्तीकर प्रस्तुत करना होगा ।
- 14. आवंटी निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा ।
- 15. सन्दर्भित योजना में भूजल की अनिधकृत निकासी एवं दुरुपयोग नहीं किया जायेगा एवं प्रश्नगत क्षेत्र की हाइडीलोजी के दृष्टिगत रेनवाटर हावेरिंटग की व्यवस्था नियमानुसार करनी होगी एवं भवन निर्माण हेतु जलापूर्ति के लिए नौएडा प्राधिकरण से जल की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय भूजल/राष्ट्रीय हिरत अधिकरण द्वारा भूजल संरक्षण एवं इसके उपयोग तथा उसके निस्तारण के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों एवं आदेशों का अनुपालन करना होगा ।
- 16. आवंटी संस्था द्वारा पुर्निरिक्षित प्रदूषण सम्बन्धी अनापत्ति पत्र एवं पुर्निरिक्षित पर्यावरण विभाग से अनापत्ति पत्र प्राप्त कर विभाग में जमा कराना होगा ।
- 17. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के भवन निर्माण हेतु जारी दिशा निर्देश, 2010 का पूर्णरूप से पालन करना होगा ।
- 18. प्रस्तावित योजना की सर्विसेज के लिए विस्तृत मानचित्र तैयार कर तथा सर्विसेज को प्राधिकरण की सर्विसेज के साथ इन्टीग्रेट करने के लिए प्राधिकरण के जल, सीवर, ड्रेनेज, विद्युत सम्बन्धी विभागों से सहमति/अनापत्ति प्राप्त कर प्राधिकरण में जमा कराना होगा ।
- 19. भू-विन्यास मानिवत्र सैद्वान्तिक स्वीकृति के उपरान्त स्थल के आस-पास निर्मित सर्विस यथा जल निकासी लाइन, सीवर लाइन, नाला, एच0टी0 लाइन को बिना प्राधिरकण पूर्व अनुमित के स्थानान्तिरत नही किया जायेगा ।
- 20. योजना के भू-विन्यास मानचित्रों में दर्शायी गई पॉकेटस/भूखण्ड को विभिन्न भू-उपयोग के अनुसार विकसित किया जायेगा एवं इसे भूखण्डों के उप विभाजन के रूप में नहीं माना जायेगा । यदि भविष्य में आवंटी संस्था द्वारा इस भूखण्ड को हस्तान्तरित हेतु उप विभाजित किया जाता है तो उसके लिए प्राधिकरण में तदानुसार संशोधित भू-विन्यास मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन करना होगा । प्राधिकरण की स्वीकृति के उपरान्त ही उप विभाजित भूखण्ड/भूखण्डों पर भवन विनियमावली के अनुसार भू-आच्छादन, एफ0ए0आर0 एवं सैट बैक निर्धारित होगें ।
- 21. प्रश्नगत भू-विन्यास मानचित्र के आधार पर आंपके द्वारा प्रस्तुत सर्विसेज प्लान पर इस क्षेत्र में प्राधिकरण की सर्विसेज के साथ इन्द्रीग्रेशन हेतु मुख्य अनुरक्षण अभियन्ता(जल)/सम्बन्धित विभागों की सहमति प्राप्त करनी होगी
- 22. माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र 375, वर्ष 2015, परमवीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में ओखला पक्षी विहार के ईको सेन्सिटिव जोन के निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्देशों के अनुपालन हेतु कार्यदायी संस्था बाध्य है। यह स्वीकृति पत्र माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकण के अन्तिम पारित किये जाने वाले आदेश के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है
- 23. यह स्वीकृति ईको सिटी, सेक्टर-75 में आंवटित भूखण्ड का पंजीकरण एवं आवंटन हेतु विवरण पुस्तिका की नियम एवं शर्ते/लीज डीड की शर्ते/नोएडा महायोजना-2031/नोएडा भवन विनियमावली-2010 के सुसंगत यथा प्रभावी प्राविधानों के अधीन होगी जिसके उल्लधन की दशा में यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- 24. सेक्टर-75 में ईको सिटी योजना के भू-विन्यास मानचित्र की प्राधिकरण द्वारा दिनांक 27.03.2018 स्वीकृति पत्र में शर्तों के साथ प्रदान की गई थी । तदोनुसार उल्लेखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बाध्य है
- 25. मानचित्र इस शर्त के साथ स्वीकृत किये जाते है कि अधिभोग के आवेदन के समय सिनेमा हेतु मनोरंजन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर विभाग में जमा कराना होगा ।
- 26. आवंटी संस्था द्वारा रेरा (Real Estate Regulatory Act) में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा ।

Row

Quip &

27. भूखण्ड स्वामी को स्वयं व अन्य विजिटर्स हेतु कार पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही सुनिश्चित करनी होगी एवं सड़क पर किसी भी प्रकार की पार्किंग न करें । स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है, भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा विना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में ना लायें ।

• भूखण्ड का क्षेत्रफल(सी. एण्ड डी.ब्लाक)

• अनुमन्य भू-आच्छादित क्षे० ४०%

• अनुमन्य एफ.ए.आर. @ 3.00

अनुमन्य ऊँचाई

• स्वीकृत ऊँचाई

पुर्निसिक्षत ऊँचाई

अनुमन्य सैटबैक

= 25,471.00 वर्ग मी0

= 10,188.40 वर्ग मी0

= 76,413.00 वर्ग मी0

= कोई सीमा नही

= 89.95 मी0

= 83.25 मी0

= अग्र 15.0 मी0 व अन्य तीनो साइड 9.00 मी0

आवंटी संस्था द्वारा स्वीकृति हेतु आवेदन के आधार पर क्षेत्रफल का तलवार विवरण निम्नानुसार है:-

तल	अनुमन्य क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	पूर्व में स्वीकृत क्षेत्रफल (वर्ग मी0) एफ0ए0आर0	पुर्नरिक्षित क्षेत्रफल (वर्ग मी0) एफ0ए0आर0
		3	4
1	2	9750.42	8365.16
बेसमेंट-1		8882.05	9722.53
भूतल	10,188.40	8805.72	8706.612
प्रथम तल	शेष एफ.ए.आर.	8625.92	8336.451
द्वितीय तल		8866.87	9297.009
तृतीय तल		4224.65	5092.974
चतुर्थ तल		3190.94	5231.253
पंचम तल		2777.35	3917.609
छटवां तल		1258.54	2000.886
सातवां तल	_	1258.54	1663.403
आठवां तल	-	1258.54	1617.816
नौवा तल		1258.54	1617.816
दसवां तल		1258.54	1617.816
ग्यारहवां तल	-	1258.54	1617.816
बारवां तल			1545.026
तेरहवां तल		1258.54	1545,026
चौदहवां तल		1258.54	775.723
पन्द्रहवां तल		1258.54	775.723
सौलहवा तल		1258.54	775.723
सत्रहवां तल	_	1180.03	775.723
अटठारवां तल		1180.03	775.723
उन्नीसवां तल		1180.03	170.720

बीसवां तल		1084.46	634.723
इक्कीसवा तल		1084.46	-
बाईसवां तल		1084.46	-
तेईसवां तल		785.90	-
चौबीसवां तल		785.90	-
कुल एफ0ए0आर0	76,413.00	76,074.59	76408.54

नॉन एफ०ए०आर			
तहखाना अपर(वी-1)	सेटबैक छोडने के पश्चात शेष क्षेत्रफल	9063.82	9529.694
तहखाना लोवर(बी-2) तहखाना लोवर(बी-3) तहखाना लोवर(बी-4)	(पार्किंग/सर्विसेज हेतु )	20,330.67 20,330.67 49,725.16	17765.35 18235.59 <u>18711.58</u> 64242.214
सेवा तल	10,188.40	3,211.87	3216.00
15% सेवा क्षे0	11,461.95	11,348.57	10516.887
पूर्व स्वीकृत क्षे <b>o</b> (एफ०ए०आर०, तहखाना, सेवा तल व सेवा क्षेत्रफल सहित)	76,074.59+49,725.16+3,211.87+11,348.57 =1,40,360.19		+11,348.57
पुर्नरिक्षित क्षेo(एफ०ए०आर०, तहखाना, सेवा तल व सेवा क्षेत्रफल सहित)	76,408.54+64,242.214+3,216.00+10,516.887 =1,54,383.641		

### सैटबेक विवरणः-

सैटबेक	अनुमन्य (मी0)	पुर्निसित (मी0)	
		भवन	तहखाना
अग्र	15.0	18.27	6.00
पृष्ट	9.0	9.00	6.00
बाई साइड	9.0	15.00	6.00
दाई साइड	9.0	9.00	6.00

Map for proposed Building is as per Eye Laws submitted for approval Please.

नाम पद .

....

नौएडा का

प्रतिलिपि- महाप्रबन्धक(ग्रुप हाऊसिंग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।